

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2010—श्रावण 22, शक 1932

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्र. एफ. 15-37-2009-पं-2-बाईस.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 93 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 309-126-बाईस-पी-2-94, दिनांक 5 मार्च 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (एक) अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
- (दो) अनुक्रमांक 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
- (तीन) अनुक्रमांक 25 के सामने, कालम (2) में, खण्ड (1) में, शब्द “जिला उप संचालक, पंचायत” के स्थान पर, शब्द “मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत” स्थापित किए जाएं;
- (चार) अनुक्रमांक 38 के सामने, कालम (2) में, खण्ड (1) में, शब्द “जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण” के स्थान पर, शब्द “मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत” स्थापित किए जाएं;
- (पांच) अनुक्रमांक 42 के सामने, कालम (2) में, खण्ड (1), (2) तथा (3) में, शब्द “संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण” जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द “आयुक्त पंचायती राज” स्थापित किए जाएं;
- (छह) अनुक्रमांक 45 के सामने कालम (2) में,—
 - (क) खण्ड (1) में, शब्द “जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण” के स्थान पर, शब्द “मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत” स्थापित किए जाएं;

- (ख) खण्ड (2) में शब्द, "संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण" के स्थान पर शब्द, "संभागीय आयुक्त" स्थापित किए जाएं;
- (ग) खण्ड (3) में, शब्द "संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण" के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, पंचायती राज" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उर्मिला शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्र. एफ. 15-37-2009-पं-2-बाईस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-37-2009-पं-2-बाईस, दिनांक 13 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उर्मिला शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal the 13th August 2010

No. F-15-37-2009-P-2-XXII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 93 read with clause (xxi) of Section 2 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following amendments in this Department's Notification No. 309-126-XXII-P-2-94, dated 5th March 1994, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table:—

- (i) Serial number 2 and entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) Serial number 12 and entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) in column (2), against serial number 25, in clause (1), for the words "District Deputy Director, Panchayat", the words "Chief Executive Officer, Zila Panchayat" shall be substituted;
- (iv) in column (2), against serial number 38, in clause (1), for the words "District Deputy Director, Panchayat and Social Welfare", the words "Chief Executive Officer, Janpad Panchayat" shall be substituted;
- (v) in column (2), against serial number 42, in clause (1), (2) and (3), for the words "Director, Panchayat and Social Welfare", wherever they occur, the words "Commissioner, Panchayati Raj" shall be substituted;
- (vi) In column (2) against serial number 45,—
 - (a) in clause (1), for the words "District Deputy Director, Panchayat and Social Welfare", the words "Chief Executive Officer, Zila Panchayat" shall be substituted.
 - (b) in clause (2), for the words "Divisional Joint Director, Panchayat and Social Welfare", the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.
 - (c) in clause (3), for the words "Director, Panchayat and Social Welfare", the words "Commissioner Panchayati Raj" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

URMILA SHUKLA, Dy. Secy.